

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर जिला भीलवाड़ा  
पीठासीन अधिकारी:-श्री सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.  
मुकदमा नम्बर:-36/2020 (2020/00110) वादपत्र

अनवान

1. छगुदेवी पत्नि हीरालाल बलाई निवासी (रामपुरिया) भींटा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. बगतावरी पत्नि सुवालाल बलाई निवासी भींटा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

वादीगण

बनाम

1. घीसा पिता मोड़ा बलाई निवासी भींटा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. रामा पिता मोड़ा बलाई निवासी भींटा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. मांगीलाल पिता मोड़ा बलाई निवासी भींटा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4. भैरू पिता भज्जा बलाई निवासी भींटा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
5. खेमी बेवा भज्जा बलाई निवासी भींटा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
6. बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा रायपुर जरिये शाखा प्रबन्धक
7. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर, तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रतीवादीगण

वाद पत्र अंतर्गत धारा 53, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

1. हरिश टेलर-

अधिवक्ता वादीगण

निर्णय

दिनांक 21.10.2020

पत्रावली आज पेश हुई। प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि इस न्यायालय के पूर्व आदेश दिनांक 02.09.2020 के द्वारा वादी का वाद स्वीकार किया जाकर ग्राम भींटा पटवार हल्का भींटा तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी में वादीगण एवं प्रतिवादीगण की शामिलता खालेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 451 रकबा 1.23 है०, आराजी संख्या 452 रकबा 0.38 है०, आराजी संख्या 453 रकबा 1.80 है०, आराजी संख्या 455 रकबा 1.79 है०, कुल किता 4 कुल रकबा 5.20 है० भूमि में वादीया संख्या 1 का 1/6 हिस्सा, वादीया संख्या 2 का 1/6 हिस्सा निहित है व प्रतिवादी संख्या 1 का 1/16 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 3 का संयुक्त रूप से 13/48 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 4 लगायत 5 का संयुक्त रूप से 1/3 हिस्से का मौके एवं कब्जे को मध्यनजर रखते हुए विधिवत रूप से विभाजन करवा स्वंत्रत राजस्व खाता रेवेन्यु रेकार्ड में खोल जाने हेतु प्राथमिक डिक्री जारी की गई एवं तहसीलदार रायपुर से विभाजन प्रस्ताव तैयार कर पेश करने का आदेश दिया गया था।

तहसीलदार रायपुर द्वारा दिनांक 13.10.2020 को विभाजन प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। जिसे शामिल पत्रावली किया गया तथा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव का जारी डिक्री एवं रेकार्ड आफ राईट्स जमाबन्दी से मिलान किया गया और वादी अधिवक्ता को प्रस्ताव अवलोकन कराया जिस पर





वादी अधिवक्ता विभाजन प्रस्ताव से सहमत है। उपरोक्त विवरण अनुसार प्राथमिक डिक्री की पालना में प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

### आदेश

अतः वादीगण का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर अंतिम डिक्री वादी के पक्ष में विरुद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की जारी की जाती है कि ग्राम भीटा तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी में प्रस्तावित आराजी संख्या 453/2 रकबा 0.85 है 0 भूमि छगुदेवी पत्नि हीरालाल बलाई सा. देह खातेदार रहन बदस्तुर जमाबन्दी तथा प्रस्तावित आराजी संख्या 453/3 रकबा 0.85 है 0 भूमि बगतावरी पत्नि सुवालाल बलाई सा. देह खातेदार रहन बदस्तुर जमाबन्दी एवं प्रस्तावित आराजी संख्या 452 रकबा 0.38 है 0, आराजी संख्या 455 रकबा 1.79 है 0, आराजी संख्या 451 रकबा 1.23 है 0 कुल कित्ता 3 कुल रकबा 3.40 है 0 भूमि घीसा पिता मोडा 3/32, रामा, मांगीलाल पिता मोडा 39/96, भैरूलाल पिता भज्जा खेमी बेवा भज्जा 1/2 बलाई सा. देह खातेदार रहन बदस्तुर जमाबन्दी तथा आराजी नम्बर 453/1 रकबा 0.10 है 0 भूमि शामलामी बदस्तुर रखते हुए रेकार्ड कायम किया जावे। तदनुसार डिक्री जारी हो। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करें।

निर्णय आज दिनांक 21.10.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



*(Signature)*

21.10.2020

(सुन्दरलाल बम्बोडा)

सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)  
रायपुर जिला भीलवाड़ा  
रायपुर (भीलवाड़ा)

मूल वाद मे अन्तिम डिक्री  
(आदेश 20 रूल्स 6-7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी:-श्री सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर:-38/2020 (2020/00110) वादपत्र

अनवान

1. छगुदेवी पत्नि हीरालाल बलाई निवासी (रामपुरिया) भीटा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. बगतावरी पत्नि सुवालाल बलाई निवासी भीटा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

वादीगण

बनाम

1. घीसा पिता मोड़ा बलाई निवासी भीटा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. रामा पिता मोड़ा बलाई निवासी भीटा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. मांगीलाल पिता मोड़ा बलाई निवासी भीटा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4. भैरू पिता भज्जा बलाई निवासी भीटा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
5. खेमी बेवा भज्जा बलाई निवासी भीटा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
6. बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा रायपुर जरिये शाखा प्रबन्धक
7. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रतीवादीगण

वाद पत्र अंतर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

यह मुकदमा वास्तु इन फिसान कतई रूबरू हमारे बहाजरी वादीगण का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर अंतिम डिक्री वादीगण के पक्ष मे विरुद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की जारी की जाती है कि ग्राम भीटा तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी मे प्रस्तावित आराजी संख्या 453/2 रकबा 0.85 है0 भूमि छगुदेवी पत्नि हीरालाल बलाई सा. देह खातेदार रहन बदस्तुर जमाबन्दी तथा प्रस्तावित आराजी संख्या 453/3 रकबा 0.85 है0 भूमि बगतावरी पत्नि सुवालाल बलाई सा. देह खातेदार रहन बदस्तुर जमाबन्दी एवं प्रस्तावित आराजी संख्या 452 रकबा 0.38 है0, आराजी संख्या 455 रकबा 1.79 है0, आराजी संख्या 451 रकबा 1.23 है0 कुल कित्ता 3 कुल रकबा 3.40 है0 भूमि घीसा पिता मोड़ा 3/32, रामा, मांगीलाल पिता मोड़ा 39/96, भैरूलाल पिता भज्जा खेमी बेवा भज्जा 1/2 बलाई सा. देह खातेदार रहन बदस्तुर जमाबन्दी तथा आराजी नम्बर 453/1 रकबा 0.10 है0 भूमि शामलामी बदस्तुर रखते हुए रेकार्ड कायम किया जावे।

वाद में डिक्री आज दिनांक 21.10.2020 को न्यायालय मोहर एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी की गई।



*Sundar Lal Bumboda*  
21.10.2020

(सुन्दरलाल बम्बोडा)

सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)  
सहायक रायपुर जिला भीलवाड़ा  
रायपुर (भीलवाड़ा)